रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 504] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 9, 2010/भाद्र 18, 1932

No. 504] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2010/BHADRA 18, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 739(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) पांचवाँ (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में :—

(i) अनुसूची I में : क्रम संख्या 55 : साझा बहिस्राव उपचार संयंत्र के सम्बन्ध में : ब. साझा बहिस्राव उपचार प्लांट के द्वारा उपचारित बहिस्राव की क्वालिटी में 'आयल और ग्रीज' (सान्द्रण सीमा मिलीग्राम प्रति लीटर) पैरामीटर के संबंध में समुद्र तटीय क्षेत्र में विसर्जन के लिए "20" के अंक के स्थान पर "10" का अंक रखा जाएगा ।

(ii) अनुसूची VI में : पर्यावरणीय प्रदूषकों के विसर्जन के लिए साधारण मानक के संबंध में –– भाग-अ : बहिस्राव, क्रम संख्या 7, स्तम्भ संख्या 3(घ) में 'ऑयल और ग्रीज' (मि.ग्रा. प्रति ली. अधिकतम) पैरामीटर के संबंध में "20" के अंक के स्थान पर "10" का अंक रखा जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-15017/01/2004-सी पी डब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; संशोधित किए गए और नवीनतम संशोधन सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ), तरीख 16 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010; सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010 और सा.का.नि. 608(अ), तारीख 21 जुलाई, 2010 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2010

G.S.R. 739(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fifth (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

IndiaCode

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—

(i) in Schedule I, at serial number 55 relating to Common Effluent Treatment Plants : B. Treated Effluent Quality of Common Effluent Treatment Plant, at parameter relating to 'Oil and Grease' (Concentration in mg/l) for disposal into Marine Coastal areas, for the figure "20", the figure "10" shall be substituted;

(ii) in Schedule VI relating to General Standards for Discharge of Environmental Pollutants, Part A : Effluents, at serial number 7, at parameter relating to 'Oil and Grease' (mg/l max.), in column number 3(d), for the figure "20", the figure "10" shall be substituted.

[F. No. Q-15017/01/2004-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986; and subsequently amended *vide* S.O. 433(E), dated 18th April 1987; and recently amended *vide* G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009, G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009, G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61(E), dated the 5th February, 2010; G.S.R. 485(E), dated 9th June, 2010; and G.S.R. 608(E), dated the 21st July, 2010.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.